बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 324641 पटना, दिनांक 29/8/17
ग्रा0वि0-15 (स्वच्छता)-68/2016

प्रेषक:-

बालामुरूगन डी. (भा0प्र0से0,)
आयुक्त स्वरोजगार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
-सह-
अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति।
रोहतास, औरंगाबाद एवं कटिहार।

विषय :- **जिले में 'खुले में शौच से मुक्त' अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय परिसर निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंग :- ज्ञापांक संख्या-1687/जि0 ग्रा0, (रोहतास) दिनांक-07.08.2017, 245(मु0)जि0 ग्र0वि0 (औरंगाबाद) दिनांक-29.07.2017 एवं 565/ जि0 ज0 स्व0 स0 (कटिहार) दिनांक-16.05.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषय में सूचित करना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के संबंध में निम्नलिखित अनुदेशों को क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1. प्रति पंचायत एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाना है जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की उपलब्धता एवं ग्राम सभा से अनुमोदन के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर की मांग की जायेगी। मांग पत्र में ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट रूप से समुदाय की हिस्सेदारी एवं निर्माण के उपरांत परिसर के रख-रखाव करने से संबंधित प्रस्ताव का विवरण होना आवश्यक है।
2. एक पंचायत में एक से अधिक ग्रामों में व्यक्तिगत शौचालय हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होने पर या संबंधित ग्राम/ ग्राम पंचायत द्वारा आबादी / बाजार / सार्वजनिक स्थान के अनुरूप प्रति पंचायत एक से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसर की मांग की जाय। जिला जल एवं स्वच्छता समिति इस संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकती है एवं इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को दी जाएगी।
3. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए निर्धारित प्रति इकाई अधिकतम सहायता राशि दो (2.0) लाख रूपये है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार समुदाय के बीच हिस्सेदारी 60:30:10 के अनुपात में होगी।
4. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के **निर्माण** संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करने के लिए संबंधित जिले के जिला जल एवं स्वच्छता समिति को प्राधिकृत किया जाता है।
5. प्रस्ताव के आधार पर प्राक्कलन तैयार करने एवं प्रस्ताव के तकनीकी स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर किसी तकनीकी अभियंता को अधिकृत किया जायेगा।
6. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निमार्ण के पूर्व जिला जल एवं स्वच्छता समिति और संबंधित ग्राम पंचायत अथवा जीविका के सामुदायिक संगठन (संकुल स्तरीय संघ या ग्राम संगठन) जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर के संचालन एवं रख-रखाव के प्रति उत्तरदायी होंगे, के बीच एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) किया जायेगा कि सार्वजनिक सम्पत्ति के रूप ये संरचना ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी और ग्राम पंचायत की देख-रेख एवं संरक्षण में इसका संचालन व रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा"।
7. सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम पंचायत/ प्रखंड या किसी तकनीकी विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया जा सकेगा। संबंधित प्राधिकृत विभाग एजेंसी को जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत (अधिकतम 90.000/- (नब्बे हजार) तक अग्रिम के रूप में दिया जा सकेगा।

8. अग्रिम की राशि वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया (Digital Signature) के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अग्रिम राशि को रोकड़ बही में अग्रिम के रूप में दर्शाया जायेगा तथा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा विपत्र समर्पित करने के उपरांत इसका समायोजन किया जायेगा।

9. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से कर्णांकित राशि के अंतर्गत सामुदाय भागीदारी (10%) के रूप में कर्णांकित राशि मजदूरी, सीमेंट व बालू इत्यादि के रूप में खर्च किया जायेगा या पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से सामुदायिक अंशदान किया जा सकता है।

10. सामुदायिक स्वच्छता परिसर के अनुमोदित प्रस्ताव को राज्य मुख्यालय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को lsbabihar@gmail.com पर सूचनार्थ भेजा जायेगा।

उपरोक्त अनुदेशों के आलोक में जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कर IMIS पर इसकी सूचना को अद्यतन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

29/08/17

(बालामुरूगन डी.)

आयुक्त स्वरोजगार

ज्ञापांक---324641------ पटना, दिनांक---29/8/17---------

प्रतिलिपि- उप विकास आयुक्त –सह- उपाध्यक्ष/ निदेशक-सह- सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति रोहतास, औरंगाबाद एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/17

आयुक्त स्वरोजगार